

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(1)न्याय/22


जयपुर, दिनांक 30-06-2023

::आज्ञा::

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को अग्रिम आदेशों तक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित विभाग में कार्य करने हेतु तुरन्त प्रभाव से एतद्वारा निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री)	वर्तमान पदस्थापन	कार्यव्यवस्था हेतु आवंटित विभाग	विशेष विवरण
1	नरेश पाल सिंह	वरिष्ठ विधि अधिकारी (आदेशों की प्रतीक्षा में)	सहायक विधि परामर्शी ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध
2	भारती शर्मा	सहायक विधि परामर्शी ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी निदेशालय कृषि विभाग, जयपुर	सुश्री शर्मा के वेतन भत्तों का भुगतान ऊर्जा विभाग से अग्रिम आदेशों तक आहरित किये जावेंगे।
3	वेदप्रकाश मीणा	वरिष्ठ विधि अधिकारी अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	श्री मीणा के वेतन भत्तों का भुगतान सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर से अग्रिम आदेशों तक आहरित किये जावेंगे।
4	शालिनी पाण्डेय वरिष्ठ विधि अधिकारी	सहायक विधि परामर्शी आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, सचिवालय जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (सप्ताह में 3 दिवस बुधवार से शुक्रवार)	शालिनी पाण्डेय के वेतन भत्तों का भुगतान आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, सचिवालय जयपुर से अग्रिम आदेशों तक आहरित किये जावेंगे।

आज्ञा से


(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. उपरोक्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कार्यव्यवस्था हेतु आवंटित विभाग में अविलम्ब कार्य ग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव